राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
जन–सम्पर्क अनुभाग
118, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर –302 005
फोन : 0141–2741825, मो. 9413349874, e-mail – pro@rrvun.com

राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कर्मचारियों हेतु सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू

जयपुर, 01 जनवरी 2018

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में भी राज्य सरकार के अनुरुप ही सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर कर्मचारियों के वेतनमान तथा पेंशनर्स की पेंशन को संशोधित करने की अधिसूचना राज्य सरकार की मंजूरी मिलने पर दिनांक 01.01.2018 को जारी कर दी गई है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रा.वि.उ.नि. ने बताया कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान / पेंशन का भुगतान निगम के कर्मचारियों को माह जनवरी, 2018 के वेतन के साथ किया जायेगा। कर्मचारियों को इसका लाभ दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक काल्पनिक आधार पर दिया जायेगा एवं 01.01.2017 से एरियर का भुगतान किया जायेगा। कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन किश्तों में निम्नानुसार किया जायेगाः

प्रथम किश्त	– अप्रेल 2018	– 30 प्रतिशत
द्वितीय किश्त	– जुलाई 2018	– 30 प्रतिशत
तृतीय किश्त	– अक्टूबर 2018	– 40 प्रतिशत

यह भी बताया कि निगम कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग पर आधारित वेतनमान का लाभ देने के लिए वेतन निर्धारण मूल वेतन के 2.57 के गुणक से किया गया है जिससे वेतनमान में न्यूनतम 14.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं के नियत पारिश्रमिक निर्धारण में नई पे मैट्रिक्स व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम रुपये 5630 / – से अधिकतम रुपये 20530 / – प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।

वर्ष के प्रारम्भ में ही सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से निगम एवं सभी विद्युत गृहों के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

–––––